राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर

स्वास्थ्य भवन झालामण्ड चौराहा के पास पुरानी पाली रोड जोधपुर (राजस्थान)

☎0291-2721438, **Email:**jdmhjod@gmail.com

क्रमांकः–स्टोर / निविदा / ट्रेनिंग / 2023–24 /   **दिनांकः**   / 05 / 2023

वार्षिक दर निविदा सूचना संख्या 01 / 2023–24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के अधीन वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोजित होने वाले समस्त प्रशिक्षणों / कार्यशालाओं मे सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को ठहरने हेतु एवं पानी, चाय, नाश्ता, लंच एवं डिनर की व्यवस्था अधिकृत होटल मालिकों / अधिकृत रेस्टोरेन्ट संचालक एवं अन्य प्रतिष्ठित फर्मों से दर संविदा हेतु निविदायें द्विप्रक्रमी बिड (तकनीकी व वित्तीय बिड) ई–निविदा प्रक्रिया द्वारा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अपनी निविदियें ऑनलाईन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 13.05.2023 से देख व अपलोड कर सकते हैं। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	**कार्यलय का नाम**	**कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर**
1	निविदा का कार्य	विभिन्न प्रशिक्षणों / कार्यशालाओं हेतु आवास, हॉल एवं पानी, चाय, नाश्ता, लंच एवं डिनर की व्यवस्था कराने बाबत्।
2	निविदा की लागत (अनुमानित)	32,00,000 / – (बत्तीस लाख रूपये)
3	अमानत राशि	64,000 / –
4	आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस	500 / –
5	टेण्डर फार्म डाउनलोड एवं अपलोड करने की अंतिम तिथि	29 / 05 / 2023
6	तकनीकि बिड व वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	30 / 05 / 2023 को 11:00 बजे तकनीकि बिड तथा 30 / 05 / 2023 को 5:00 बजे वित्तीय बिड खोली जायेगी
7	निविदा फार्म शुल्क	रूपये 400 / – डी.डी. / कैश (Non Refundable)

शर्ते :–

1. निविदा फार्म शुल्क एवं अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैंक / ई–ग्रास (संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर के नाम पर देय होगा) एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चैंक / ई–ग्रास (MD RISL, Jaipur के नाम परदेय होगा) दिनांक 29.05.2023 को सांय 6.00 बजे तक आवश्यक रूप से कार्यालय में डाक / व्यक्तिशः जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा की विस्तृत शर्ते एवं पूर्ण विवरण स्पेसिफिकेशन राजकीय वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 13.05.2023 से देखी जा सकेगी एवं ऑनलाईन अपलोड की जा सकेगी। अन्य जानकारी कार्यालय में कार्यालय समय पर भी प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ० जोगेश्वर प्रसाद)
संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–जोधपुर

–: वित्तीय निविदा प्रपत्र :–

आवास, भोजन, हॉल हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दरें – (दरें प्रतिदिन प्रति आईटम प्रति व्यक्ति अनुसार देनी होगी तथा बिना करों के होगी करों का भुगतान नियमानुसार प्रचलित दरों अनुसार होगा)

क्र.सं.	**नाम व्यवस्था**	**समस्त कर रहित दरें प्रति कमरा प्रतिदिन एवं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार**
1	कमरा अटैच लेटबाथ	
	1. सिंगल बैड रूम कूलर	
	2. डबल बैड रूम कूलर	
	3. सिंगल बैड रूम (ए.सी.)	
	4. डबल बैड रूम (ए.सी.)	
	5. डिलक्स सिंगल बैड रूम (ए.सी., गीजर) with quilt and matrix according to season	
	6. डिलक्स डबल बैड रूम (ए.सी., गीजर) with quilt and matrix according to season	
2	प्रशिक्षण के लिए ए.सी. हॉल एल.सी.डी. प्रोजेक्टर माइक एवं स्पीकर संचालन की व्यवस्था **1.** प्रति हॉल 20–50 तक बैठक व्यवस्था के साथ समुचित प्रकाश व हवा प्रबंधन। **2.** प्रति हॉल 70–120 तक बैठक व्यवस्था के साथ समुचित प्रकाश व हवा प्रबंधन।	
3	चाय, कॉफी सामान्य मात्रा	
4	नाश्ता पोहा, उपमा, इडली, सांभर, आलू परांठा मय अचार/दही, ब्रेड पकोड़ा मय चटनी, वेज सेण्डविच, छोले भटूरे (कोई दो आईटम)	
5	लंच/डिनर स्वीट पीस/आईस क्रीम, सब्जी 03 (पनीर, दाल, हरी/मिक्स सब्जी) रायता (वेज/बूंदी), चपाती (भरपेट), चावल (वेज पुलाव/जीरा राईस), सलाद, पापड़, इत्यादि।	
6	लंच/डिनर स्वीट पीस/आईस क्रीम, सब्जी 03 (पनीर, दाल, हरी/मिक्स सब्जी) रायता (वेज/बूंदी), चपाती तंदूरी (भरपेट), चावल (वेज पुलाव/जीरा राईस), मौसमी फल, सूप, सलाद, पापड़, इत्यादि।	

1. उक्त वर्णित दरें कार्य आदेश दिये जाने से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक के लिये विधि मान्य है इस अवधि को पारस्परिक सहमति से अधिकतम 3 माह तक बढाया जा सकता है।
2. निविदा के साथ संलग्न सभी शर्तों को मेरे द्वारा पढ़ लिया गया है तथा इनसे मैं सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर (राज०)

–: आवास एवं भोजन हेतु वार्षिक दर निविदा की शर्तें :–

– सामान्य शर्तें –

1. उक्त ई–निविदा को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन ही अपलोड की जावें।
2. निविदादाता द्वारा ई–निविदा दो रूपों में यथा तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग ऑनलाईन अपलोड करनी होगी। ऑफलाईन निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. **निविदा सूचना एवं प्रपत्र संबंधी शर्तें –** (क) निविदायें दिनांक 29.05.2023 तक www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती हैं तथा निविदा फॉर्म शुल्क एवं अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ईग्रास (संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर के नाम पर देय होगा) एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैंक/ई–ग्रास (MD RISL, Jaipur के नाम पर देय होगा) दिनांक 29..05.2023 को सांय 6:00 बजे तक आवश्यक रूप से कार्यालय में डाक/व्यक्तिशः जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदायें तकनीकी बिड कार्यालय समय में दिनांक 30.05.2023 को 11:00 बजे व वित्तीय बिड दिनांक 30.05. 2023 को 5:00 बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा निविदादाता या अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष या उसके अनुपस्थिति की स्थिति में भी निश्चित समय पर ही खोली जायेगी।
5. **बोली तैयार करने हेतु अनुदेश –**
   (क) निविदायें कार्यालय द्वारा जारी निविदा फॉर्म/प्रारूप में ही स्वीकार की जायेगी।
   (ख) निविदा फॉर्म स्याही अथवा टाईप से स्पष्ट भरा हुआ होना चाहिये पेंसिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचाार नहीं किया जायेगा।
   (ग) दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्टतः लिखी
   जायेगी तथा किसी प्रकार की कॉट/छॉट पर उसें पुनः लिख कर फर्म प्रतिनिधि के लघुहस्ताक्षर किये जायेंगे।
   (घ) किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट या ओवर राईटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी कॉट–छॉट/ओवर राईटिंग पर जो भी निर्णय ले, वही निविदादाता को मान्य होगाा।
   (ङ) बोली सक्षम बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी।
   (च) निविदादाता निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगाा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेंगे कि निविदाकार ने सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अतः निविदाकारों को चाहिये कि सभी शर्तों को पढ़कर समझ लें।
6. **बोलीदाता की अर्हता/निर्हता –**
   (क) बोलीदाता उपापन प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र नही होगा यदि किसी भी उपापन संस्थान, राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया गया हो।
   (ख) उपापन संस्थान किसी बोली लगाने वाले को निरर्हत कर सकेगी यदि वह किसी भी समय यह पाती है कि बोली लगाने वाले की अर्हताओं से संबंधित प्रस्तुत सूचना असत्य या दुर्व्यपदेशन गठित करने वाली थी या सारवान रूप से गलत या अपूर्ण थी।
   (ग) बोलीदाता केवल एक ही बोली प्रस्तुत कर सकता है एक बोलीदाता द्वारा एक से अधिक बोली प्रस्तुत किये जाने पर उसकी सभी बोलियों को निरस्त कर दिया जायेगा।

7. **निविदा की अवधि –** निविदा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये प्रभावी रहेगी साथ आपसी सहमति से उक्त निविदा को अधिकतम 03 माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

8. **उपापन संस्थान का निर्णय अधिभावी –**

(क) सन्तोषप्रद सेवायें न होने पर न्यूनतम बोली वाली फर्म की निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। जिसके लिये निविदादाता किसी भी प्रकार का हर्जे–खर्चे का भुगतान हेतु वाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(ख) किसी भी निविदा को स्वीकार करने/अंशों में स्वीकार करने, अस्वीकृत करने अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास निहित होगा। किसी भी न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करना विभाग के लिए आवश्यक नहीं है। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ग) निविदा सूचना में उल्लेखित मांग को कम या ज्यादा करने का अधिकार निविदादाता के पास निहित होगा। समय–समय पर आवश्यकता अनुसार आदेश देने पर सेवायें प्रदत्त करवानी होगी।

9. **तकनीकी मूल्यांकन शर्तें**–(FIRST COVER IN PDF) के साथ निम्नांकित एवं तकनीकी बोली चेकलिस्ट अनुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न होने चाहिये अन्यथा संबंधित बोलीदाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी–

(क) निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

(ख) सम्पूर्ण भरा हुआ निविदा प्रपत्र, प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित मय मोहर– ई–निविदा सूचना, निविदा की समान्य व विशेष शर्तें, सभी दस्तावेज निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित।

(ग) Annexure A, B, C, D हस्ताक्षरित।

(घ) निविदादाता द्वारा घोषणा Annexure E।

(ङ) आवास की व्यवस्था के लिये स्वामित्व प्रमाण पत्र (नल/बिजली/टेलीफोन बिल की छायाप्रति)। यदि किराये का है तो किरायानामा/अनुबंध/इकरारनामा का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(च) फर्म को पंजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लैटरहेड पर प्रस्तुत करना होगा।

(छ) फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता फर्म द्वारा संस्थान को लिखित में दी जावेगी किन्तु परिवर्तन की स्थिति में भी संस्थान से हुए इस अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(ज) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये गये आवास एवं प्रशिक्षण संबंधि भवन का किरायानामा न्यूनतम निविदा अवधि तक का होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन की स्थिति में कमेटी से पुनः अवलोकन करवाकर सहमति प्राप्त करनी होगी।

(झ) बोलीदाता का PAN/TAN/SERVICE TAX/GST रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

(ञ) GST, एवं अन्य कर का चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ट) निविदादाता का प्रति वर्षों का औसतन वार्षिक टर्न ओवर 05 लाख तक होना चाहिये (जो कि केवल भोजन व आवास से ही संबंधित होनी चाहिये)जिसके सत्यापन से सी.ए. (Chartered Accountant) द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षों का वित्तीय लेखे संलग्न किये जाने आवश्यक है।

(ठ) फर्म का शॉप एक्ट/कम्पनी एक्ट/उद्योग विभाग/बिक्री कर विभाग में से किसी एक में पंजीकरण होना आवश्यक है।

(ड) निविदादाता को खाद्य विभाग/नगरनिगम के नियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(ढ) विभागीय उपापन समिति को तकनीकी शर्तों में शिथीलन देने का पूर्ण अधिकार है।

(ण) कार्यस्थल पर 18 वर्ष से कम आयु का वर्कर नहीं होना चाहिए।

(त) ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र।

(थ) पूर्व में किये गये कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज यदि कोई हो तो।

(द) अन्य कोई दस्तावेज जो निविदादाता प्रस्तुत करना चाहता हो।

(ध) निविदा में अंकित दस्तावेज विभाग द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रस्तुत करने होंगे।

उपर्युक्त सभी दस्तावेज एवं परिशिष्ट बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित मय मोहर होने चाहिए। उपर्युक्त दस्तावेज के अभाव में बोलीदाता को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जायेगा। **तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर उपापन समिति द्वारा बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण स्थल के निरीक्षण में संतोषजनक सुविधाएं पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।** वित्तीय बोली खोले जाने की तिथि एवं समय में परिवर्तन की सूचना सभी प्रतिभागी निविदादाताओं को ऑनलाईन www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी जायेगी।

10. वित्तीय मूल्यांकन कसौटी–

(क) दर समस्त करों रहित प्रस्तुत की जावें सभी प्रकार के करों का पृथक से भुगतान किया जायेगा।

(ख) निविदादाता द्वारा अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त संस्थान को मान्य नहीं होगी। निविदा शर्तों के विपरित शर्त मान्य नहीं होगी तथा ऐसी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ग) निविदा न्यूनतम एवं लाभदायक दर वाली फर्म को आवंटित की जायेगी।

(घ) आवास एवं भोजन हेतु पृथक पृथक/संयुक्त न्यूनतम एवं लाभदायक दर वाली फर्मानुसार आवंटन का अधिकार उपापन संस्थान को होगा।

(ङ) न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं है। किसी भी निविदा या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार निविदा कमेटी को होगा।

11. आरटीपीपी अधिभावी– किसी विवाद की स्थिति में शर्तें/नियम वे ही मान्य होंगे जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत है।

12. अनुबंध–

(क) सफल निविदादाता को एस.आर.–17 में करार नियमानुसार निर्धारित राशि 500/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दर अनुमोदन पत्र जारी होने की तिथि से तीन दिन के भीतर निष्पादित करना होगा।

(ख) बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष तक होगी। उपापन संस्थान को अनुबंध समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत किया जाएगा और विभाग को करार का स्टाम्प मय प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जावेगा।

(घ) अनुबंधकर्ता फर्म को दिया गया कॉन्ट्रेक्ट वह किसी अन्य ऐजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगा अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगा।

(ङ) यदि निविदादाता अपनी ओर से संविदा निरस्त करता है तो ऐसी स्थिति में यदि संस्थान को वैकल्पिक व्यवस्था करने में कोई अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ेगी तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व अनुबन्धकर्ता/फर्म को होगा।

13. अमानत राशि– निविदादाता को निविदा के साथ अनुमानित लागत की 02 प्रतिशत दर से अमानत राशि जमा करानी होगी। जमा अमानत राशि का निम्न परिस्थितियों में समपहरण (Forfeit) किया जा सकेगा।

(क) जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु स्वीकृती से पूर्व निविदा वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।

(ख) जब निविदादाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, को सम्पादित नहीं करता है।

(ग) जब प्रदाय आदेश जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूमि राशि जमा नहीं करता है।

(घ) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय नहीं करता है।

(ङ) अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगी।

14. निष्पादन प्रतिभूति–

(क) सफल निविदादाता को 05 प्रतिशत की बिड परफोरमेंस राशि बैंकर चैक/डी.डी./अन्य प्रारूप में जमा करवानी होगी तथा कार्य निष्पादन प्रतिभूति अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जायेगी।

(ख) इस राशि पर संस्थान द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(ग) प्रतिभूति राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण (Forfeit) किया जा सकता है :–

(अ) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।

(ब) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से कार्य करने में विफल रहता है।

15. **बिल भुगतान –** भुगतान हेतु बिल का प्रस्तुतिकरण बैंचवार किया जाना प्रस्तावित है। भुगतान हेतु बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा उनके बैंक पास बुक की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा पैन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी। विवाद की स्थिति में बिल की राशि को 25 प्रतिशत तक रोका जा सकेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा रोके गये भुगतान पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

16. **कर कटौती –** जीएसटी एवं आयकर टीडीएस की कटौती नियमानुसार एवं निर्धारित दर से प्रत्येक चालू भुगतान योग्य बिल से होगी।

17. **शास्ति –**

बोलीदाता द्वारा संस्थान को विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्थान प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगीः–

(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	**2.5 %**
(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए	**05 %**
(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए	**7.5 %**
(घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	**10 %**

18. किसी भी प्रकार के वाद का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर शहर रहेगा।

तकनीकी निविदा प्रपत्र

ई–निविदा सूचना संख्या–01 / 2023–24

चाय, नाश्ता, भोजन एवं आवास की व्यवस्था सेवा के लिए निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता व मोबाईल नम्बर ....
2. सम्बोधित : कार्यालयाध्यक्षसंयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. संदर्भ क्रमांकः–स्टोर / निविदा / ट्रेनिंग / 2023–24 / .... दिनांक–...
4. निविदा शुल्क : रूपये **400/–** डिमाण्ड ड्राफ्ट (संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुरके पक्ष में) संख्या........................ ....दिनांक....................बैंक का नाम .... के द्वारा जमा करवा दी गई हैं ।
5. बिड सिक्यूरिटी 2 प्रतिशत राशि 64000/–का डीडी,संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुरके नाम से प्रस्तुत करना होगा। उक्त राशि का डी.डी.प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
6. प्रोसेसिगं शुल्कः रूपये **500/–** डिमाण्ड ड्राफ्ट (MD,RISL,जयपुर के पक्ष में) संख्या.......................................दिनांक..................................बैंक का नाम .... के द्वारा जमा करवा दी गई हैं ।
7. निविदा में आमंत्रित दरें उनके कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष / योजना रहने तक (दोनो में से जो भी कम हो) मान्य होगी। निविदा अवधि एवं दरों को आपसी सहमति के RTPP Rule 2013 के अनुसार बढाई जा सकेगी।
8. विशेष परिस्थितियों में राज.लोक उपापन में पारदर्षिता नियम–2013 के नियम–74 के अनुसार कार्य को विभाजित किया जा सकेगा ।
9. राज्य में दिनांक 26–01–2013 से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 प्रभावशील हैं। अतः उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होगें ।
10. समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा ।
11. यह निविदा ई–निविदा के तहत द्वि–प्रकमी बोली के रूप में आमन्त्रित की गयी हैं। बोली दाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजों की मोहर सहित हस्ताक्षरित प्रतियाँ अपलोड की जाये :–
    - निविदा शुल्क,प्रोसेसिगं शुल्क एवं धरोहर राशिके बैंकर्स चेक / डिमाण्डड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
    - सम्पूर्ण भरा हुवा निविदा प्रपत्र, प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित मय मोहर मय ई–निविदा सूचना, निविदा की विशेष शर्ते, ई–निविदा की आवश्यक शर्ते, सभी दस्तावेज निविदा दाता द्वारा हस्ताक्षरित।
    - एनेक्सर A,B,C,D
    - निविदा दाता द्वारा घोषणा–एनेक्सर E.
    - एस0आर0 11 में घोषणा।
    - आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति ।
    - GST पंजीयन संख्या का प्रमाण पत्र स्वंय द्वारा प्रमाणित।
    - पूर्व में किये गए कार्य के कार्यादेश / अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित दस्तावेज यदि हो तो।
    - चेक लिस्ट।
    - फुड लाईसेन्स निविदा पूर्ण होने की अवधि तक प्रमाणित होना आवश्यक है।
    - चार्टटेड अकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर की प्रति।
    - ब्लैकलिस्ट नहीं होने का स्टाम्प पर शपथ पत्र।
    - संवेदक को कार्यस्थल का स्वामित्व सम्बधित दस्तावेज अथवा अनुबन्ध की प्रति अपलोड करनी आवश्यक होगी। इसके अभाव में निविदा में भाग नही ले सकेगा।
    - अन्य कोई दस्तावेज जो निविदादाता प्रस्तुत करना चाहता हो।

निविदादाता द्वारा निविदा की समस्त शर्तो एवं विशेष शर्तो तथा सलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेजो का भली–भॉति अवलोकन कर उन्हे पूर्ण रुप से समझ लिया गया है एवं निविददाता को सभी शर्ते स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

1. **निविदा दाता का नाम :**..
   मोबाईल नम्बर :..
2. **डाक का पता :**..
   ....
3. **टेलीफोन नम्बर (दुकान) :**.. **(घर) :**....................................

दिनांक :

स्थान : **निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील**

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

- **(a)** not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- **(b)** not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;
- **(c)** not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;
- **(d)** not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- **(e)** not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process ;
- **(f)** not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- **(g)** disclose conflict of interest, if any; and
- **(h)** disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

- **A.** Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.
- **B.** A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
  - **a.** have controlling partners/ shareholders in common, or
  - **b.** receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - **c.** have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - **d.** have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - **e.** the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - **f.** the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - **g.** Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

Signature of Bidder with Seal

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to……………………………………………….for procurement of ………………………………….in response to their Notice Inviting Bids No. …………………………. Dated…………………………. I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Acts, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:………………..

Place:………………

Signature of Bidder

Name:…………………………………..

Designation:……………………………

Address:………………………………..

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____

The designation and address of the Second Appellate Authority is the ____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose off the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- **(a)** determination of need of procurement;
- **(b)** provisions limiting participation of bidder(s) in the bid process;
- **(c)** the decision of whether or not to enter into negotiations;
- **(d)** cancellation of a procurement process;
- **(e)** applicability of the provisions of confidentiality;

(5) Form of Appeal

- **(a)** An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- **(b)** Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- **(c)** Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- **(a)** Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.
- **(b)** The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- **(a)** The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.
- **(b)** On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;
  - **(i)** Hear all the parties to appeal present before him; and
  - **(ii)** Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;
- **(c)** After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- **(d)** The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder with Seal

FORM No. 1

[See Rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ……………… of ....……………………………………….……………………………

Before the …………………………………………………….……………………… (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant :
   - **i.** Name of the Appellant :
   - **ii.** Official Address, if any :
   - **iii.** Residential Address :

2. Name and address of the respondent(s):
   - **i.**
   - **ii.**
   - **iii.**

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………
………………………………. (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………..

Place:………………

Date:....…………….

Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis:

   a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

   b. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

   c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

   If the bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

   a. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

   b. If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

   c. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. however, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

Signature of Bidder with Seal

Bid Securing Declaration Form

Date:
Bid No.:
Alternative No.:
To:
....
....
We, the undersigned, declare that:
We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely:-

- **a.** When we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- **b.** When we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- **c.** When we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- **d.** When we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- **e.** If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.
We understand this Bid Securing Declaration shall explain if:-

- **i.** We are not the successful bidder;
- **ii.** The execution of an agreement for procurement and performance security if furnished by us in case we are successful bidder;
- **iii.** Thirty days after the expiration of our Bid.
- **iv.** The cancellation of the procurement process; or
- **v.** The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed: ....
Name : ....
In the capacity of : ....
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated on day of ....
Corporate Seal ....

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर

–: विशिष्ट शर्तें आवास हेतु :–

1. आवास की व्यवस्था जोधपुर शहर की परिधि में होनी चाहिये जोधपुर शहर के बाहर की आवास व्यवस्था की किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवास व्यवस्था में शौचालय/बाथरूम एवं कमरे साफ सुथरे होने चाहिए। पानी व बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। बिजली नहीं आने की स्थिति में जेनरेटर की व्यवस्था के लिए अलग से काई चार्ज नहीं होगा।
3. तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. तकनीकी निविदा खुलने के पश्चात् सफल निविदादाता द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले आवास व्यवस्था का भौतिक सत्यापन समिति के सदस्यों को कराना होगा। जो संतोषजनक एवं निविदा शर्तों के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में निविदा को निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्थान को होगा।
5. निविदादाताओं को सुरक्षा की व्यवस्था चाक–चौबन्द करानी होगी साथ ही निविदादाताओं के कार्यकर्ताओं को उत्तम चरित्र व सही आचरण का आवश्यक है अगर इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे निविदादाता के निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।
6. प्रशिक्षणार्थियों को सुविधायुक्त आवास व्यवस्था उपलब्ध करवानी होगी।
7. कमरों में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप में व बिजली फिटिंग सही हालत में होनी चाहिए। पंखे, कूलर व ए.सी. चालू हालत में होने चाहिए।
8. भोजन की पृथक से व्यवस्था करने पर निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. निविदादाताओं द्वारा आवास व्यवस्था हेतु दी गयी दरें केवल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति समस्त कर रहित ही मान्य होगी।
10. किसी सरकारी विभाग/संस्थान/निजी प्रतिष्ठान संस्थान हेतु उक्त कार्य का दो वर्ष का अनुभव संतोषजनक प्रमाणपत्र के साथ होने पर उस फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. फर्म द्वारा आदेशानुसार समय एवं तिथि अनुसार आवास/प्रशिक्षण हॉल की व्यवस्था करनी होगी। स्तरहीन व्यवस्था करनें पर व्यवस्था का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. संस्थान में 25–40 कमरे तथा 50–80 व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था सिंगल/डबल रूम में होना आवश्यक है जिसमें समस्त प्रकार की सुविधाएं जैसे वातानुकूलन की व्यवस्था हो।
13. महिला प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से सम्पूर्ण व्यवस्था आवास आवंटन आदि होनी चाहिए।
14. अग्नि सुरक्षा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र।
15. प्रशिक्षणार्थियों को आवास हेतु कमरों की व्यवस्था कार्यादेश के अनुसार करनी होगी वास्तविक आवश्यक कमरों की संख्या प्रशिक्षण के प्रथम दिवस को ही बताई जायेगी। बिल का भुगतान वास्तविक प्रयुक्त कमरों के आधार पर ही होगा।
16. निविदादाता के पास प्रशिक्षण हॉल, भोजन, आवास, चाय नाश्ता आदि की स्वयं की व्यवस्था होनी चाहिए। एक ही छत के नीचे भोजन व्यवस्था, चाय–नाश्ता, प्रशिक्षण हॉल व आवासीय कमरे आदि एक ही सेवा प्रदाता द्वारा होनी चाहिए। फिर भी उपापन संस्थान द्वारा आवश्यक माने जाने पर आवास, भोजन एवं प्रशिक्षण हॉल के लिये अलग–अलग निविदा स्वीकार करने का अधिकार होगा।
17. उक्त कार्य से संबंधित समस्त वैधानिक एवं कानूनी दायित्व संबंधित निविदादाता का रहेगा। संस्थान उक्त कार्य के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं रहेगी।

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर

विभिन्न कार्यशालाओं में सम्मिलित प्रतिभागियों हेतु चाय, कॉफी, लंच, डिनर उपलब्ध करवाने जाने के संबंध में वार्षिक दर संविदा की विशिष्ट शर्तें–

1. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित किस्म की होगी। प्रयुक्त सामग्री fssai मानक एवं एगमार्कयुक्त होनी चाहिए।
2. सभी खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा रसोई व खाने की व्यवस्था की साफ सफाई उपापन समिति के सदस्यों के निरिक्षण के अधीन रहेंगे।
3. प्रत्येक समय परिसर में साफ–सफाई एवं स्वास्थ्यकर वातावरण रखा जायेगा।
4. सब्जियों की मात्रा प्रति कटोरी 100 ग्राम होगी।
5. सब्जियाँ मूंगफली तेल में तैयार करनी होगी।
6. गेहुँ की रोटी पर शुद्ध देशी घी लगाना होगा।
7. आपूर्तिकर्ता फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
8. आपूर्तिकर्ता संस्थान के पास FSSI का प्रमाणपत्र होगा।
9. आपूर्ति खाद्य सामग्री से किसी भी प्रकार कर स्वास्थ्य के विपरित नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति अपूर्तिकर्ता को देनी होगी।
10. वर्ष में तथा प्रशिक्षण में आवश्यकतानुसार समय–समय पर आदेश दिये जाने पर ही खाद्य सामग्री की आपूर्ति करनी होगी तथा उसकी मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
11. फर्म को संस्थान के द्वारा देय भोजन का भुगतान पूर्ण संतुष्टि के बाद ही चैक द्वारा किया जावेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। संस्थान नियमानुसार पुनर्भरण योग्य भुगतान होने पर आवश्यक प्रमाणीकरण के पश्चात् बिल पारित किये जा सकेंगे। अन्यथा भुगतान प्रति व्यक्ति स्वयं के भुगतान हेतु फर्म राशि वसूली हेतु अपनी व्यवस्था अलग से सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक कार्यक्रम अनुसार योग्य बिल/वाउचर्स पाठ्यक्रम निदेशक से प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि निरीक्षण या शिकायत पर भोजन, चाय, नाश्ता आदि मैनू के अनुसार तथा अच्छी किस्म का नहीं पाया गया तो अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा प्रदायक को संस्थान की अपेक्षा के अनुरूप उचित समय के भीतर उसे बदलना होगा। इस हेतु प्रदायक को कोई अतिरिक्त मूल्य अथवा राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। गंभीर लापरवाही होने पर अनुबंध निरस्त कर नियमानुसार फर्म से वसूली कर ब्लैकलिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी।
13. किसी भी समय भोजन की व्यवस्था सुचारू व संतोषजनक रूप से न होने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य अनुबंधकर्ता फर्म के हर्जे–खर्चे पर अन्य एजेन्सी/साधन से करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय संस्थान को वहन करना पड़ा तो वह राशि अनुबंधकर्ता से वसूली योग्य होगी।
14. अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा की जा रही भोजन व्यवस्था संस्थान की अपेक्षाओं के अनुरुप संतोषजनक न होने की स्थिति में संस्थान को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को 07 दिन का पूर्व नोटिस देकर के समाप्त कर दे।
15. भोजन, चाय व नाश्ते की किस्म में किसी भी प्रकार की कमी होने पर संस्थान को युक्तियुक्त कटौती करने का पूर्ण अधिकार होगा। कटौती के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
16. अनुबंधकर्ता द्वारा फर्म के ठेकेदार एवं उसके प्रशिक्षणार्थियों एवं संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शिष्ट व्यवहार के लिए बाध्य होंगे।

17. अनुबंधकर्ता फर्म को सामान्यतया जब तक संस्थान द्वारा कोई विशेष आदेश न दिए जावे, चाय, नाश्ते व खाने की व्यवस्था संस्थान/हॉस्टल परिसर में करनी होगी। भोजन गर्म व ताजा होना आवश्यक है।
18. भोजन व्यवस्था में शेष बची सामग्री को किसी भी दशा में पुनः उपयोग मे लिये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
19. बोलीदाता का उक्त कार्य हेतु तर्कसंगत पर्याप्त कर्मचारी लगाने होंगे।
20. नाश्ते, चाय व भोजन में काम आने वाली "क्रॉकरी" एवं "पकाने के बर्तन" यदि व्यवस्था संस्थान द्वारा की जायेगी एवं ईंधन की व्यवस्था स्वयं अपनी लागत पर अनुबंधकर्ता फर्म को करनी होगी। केटरर द्वारा खाना बनाने एवं खिलाने पिलाने के बर्तन व क्रॉकरी साफ सुथरे रहने चाहिए। केटरर्स को प्रशिक्षणार्थियों को सुव्यवस्थित तरीके से खिलाने पिलाने हेतु उचित वेटर्स की व्यवस्था करनी होगी।
21. संस्थान द्वारा खाना बनाने के लिए स्थान तथा खाना खाने के लिए कुर्सी टेबल आदि फर्नीचर उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त फर्नीचर को साफ सुथरा व नियत स्थान पर रखने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। हॉस्टल में कैन्टीन के स्थान का कैटरर्स को वाणिज्यिक उपयोग करने अथवा सबलेट करने की अनुमति नहीं होगी। कैन्टीन में तैयार माल को बाहर बिक्री हेतु लाने व ले जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। कैटरर्स द्वारा चाय, नाश्ता व भोजन संस्थान में ही बनाया जावेगा। बाहर से बनाकर लाया गया भोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा। खाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अवलोकन संस्थान के अधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। अधिकारी खाने की किसी भी वस्तु/सामग्री की उचित जांच एवं परिक्षण करने/कराने के लिए सक्षम होगा। संस्थान के हॉस्टल में कैटरर्स का उपस्थित रहने का समय प्रातः 5:00 से रात्री 10:00 बजे तक रहेगा। संस्थान के भोजन की गुणवत्ता की जांच खाद्य विभाग/नगर निगम/प्रतिनिधि एजेन्सी से भी करवाये जाने का अधिकार होगा। मिलावट/खराबी पाये जाने पर संबंधित एजेंसी आपके विरूद्ध कार्यवाही करेगी एवं संस्थान भी उसमें पूर्ण सहयोग करेगी।
22. आवश्यकता होने पर दिये गये कार्य आदेश अनुसार भोजन के पैकेट बनाकर अन्य प्रशिक्षण स्थल या आवास पर भिजवाना होगा।
23. प्रशिक्षणों में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु आर.ओ. पानी वाले कैम्परों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
24. उक्त कार्य से संबंधित समस्त वैधानिक एवं कानूनी दायित्व संबंधित निविदादाता का रहेगा। संस्थान के उक्त कार्य के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं रहेगी।

Annexure E: बोलीदाता द्वारा घोषण पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ। कि :–

1. यह कि कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर को प्रस्तुत उक्त बिड्स से संबंधित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबंधकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।
2. यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और ना ही उक्त कारणों से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 03 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यवसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किय गये हैं।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षरा अंकित कर दिये गये हैं।
6. यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरित कोई धारणा नही रखते हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता

नामः ....

दिनांकः ....

स्थान : ....

पद : ....

पता : ....

....

मोबाईल नं०: ....

परिशिष्ट

–: वार्षिक टर्नओवर स्टेटमेंट :–

हमारी फर्म **मैसर्स** .... का गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नओवार (लाखों में)
1	2020–21	
2	2021–22	
3	2022–23	
कुल टर्नओवर		

औसतन टर्नओवर –

सी.ए. द्वारा हस्ताक्षरित मय सील

मो०नं०:

Check List

Tender No. :

[List of required Schedules/Documents to be submitted online duly signed/digitally signed by Authorized Signatory]

1. Name of Bidder Firm: ....
2. Status (Proprietor/Partnership Firm/Company): ....
3. Authorized Signatory (Name and Designation): ....
4. PAN No. : ....
5. Phone No.: .... Mobile No.: .... Email ID: ....
6. Regd. Office Address: ....

Please mark Yes/No. (Upload scanned copies with sign and seal of the following):

S.NO.	**Particulars as per specification**	**Status of documents required**	**Details of documents to be uploaded by bidder along with relevant page nos.**
1	Bid Security	Yes/No	
2	Tender Form Fee Rs. 400	Yes/No	
3	RISL Tender Processing Fee	Yes/No	
4	Authorization of Digital Signature (if applicable) power of attorney for authorized signatory to sign the tender document digitally	Yes/No	
5	GST Registration and VAT/GST clearance certificate of Commercial Tax department enclosed (self attested)	Yes/No	
6	PAN card enclosed (self attested)	Yes/No	
7	Food License	Yes/No	
8	Ownership/rent of leasor contract agreement	Yes/No	
9	Address of Proof enclosed (self attested)	Yes/No	
10	Annexure A, B, C and D of transparency in public procurement Act signed and sealed enclosed.	Yes/No	
11	Letter of acceptance for all the terms and conditions of the tender duly signed and sealed.	Yes/No	
12	Declaration in S.R. 11 duly signed and sealed enclosed	Yes/No	
13	Financial and Technical undertaking	Yes/No	
14	Affidavit for firm/institute not blacklisted	Yes/No	
15	Any other relevant document bidder wants to submit enclosed	Yes/No	

Signature of Tenderer with Seal

S.R. FORM-17

AGREEMENT

1. An agreement made this .... day of .... between .... (hereinafter called “the approved supplier”, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and adminitrators) of the one part and the Government of the State of Rajasthan (hereinafter called “the Government”, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.
2. Whereas the approved supplier has agreed with the Government to supply to the .... of the State of Rajasthan as its Head Office as well as at branch offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column .... of the said schedule.
3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs. .... in ....
   - **I.** Cash/Bank Draft/Challan No./Banker’s Cheque No. .... dated ....
   - **II.** Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.
   - **III.** National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.
4. Now the Presents witness:
   - **I.** In consideration of the payment to be made by the Government through .... at the rates set forth in the Schedule here to appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in .... and .... thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.
   - **II.** The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice no. .... dated .... and also appended to this agreement will be deemed to taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
   - **III.** Letters Nos. .... received from the tenderer and letter nos. .... issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
   - **IV.** **(a)** The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe amd keep the said terms and conditions, the Government will through .... pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

     (b) The mode of payment will be as specified below:-
     1. ....
     2. ....
     3. ....
5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

Sr.No.	Items Quantity	Delivery Period

6. **(1)**In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply.
   - **(a)** Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period. **21%**
   - **(b)** Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period. **05%**

(c) Delay exceeding one fourth but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period. **07 %**

(d) Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period **10 %**

Note:

I. Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is lesst than half a day.

II. The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10 %.

III. If the supplier required an extension of time in completeion of contractual supply on account of occurence of any hinderances, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the hinderances but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Deliveryperiodmay be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderances beyond the control of the tenderer.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the intepretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness wherof the parties here to have set their hands on the .... day of................ .

Signature of the Approved Supplier

Signature for and behalf of Governer
Designation:

Date: **Date:**

Witness No. 1 **1.** Witness
Witness No. 2 **2.** Witness

DECLARATION BY TENDERERS

I/We declare that I am/we are bonafide/Manufacturers/Whole Sellers/Sole distributor/ Authorised dealer/dealers/sole selling/Marketing agent in the goods/stores/equipments for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other actiont hat may be taken, my/our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the Tenderer

Technical Undertaking

I/We have clearly understood all the terms and contitions of the Bid and agreement etc. and agree to.. Services/Goods at the rate quoted by me/us at the destinations specfied by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and contitions of (Concerned Head of the Office) from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid:

1. Bid Security 2.5% percent on Tender amount.
2. Affidavit attested by a notary to that effect that the bidder has no past or present criminal record with the Policy/Vigilance of CS Deptt./Vigilance and enforcement Deptt., Govt of any state/ Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the partners or representatives were never blacklisted the Central Govenment/ any State Government/ any Union Territory/ State Agency at time or convicted by Court of Law in a criminal case.
4. Copy of partnership deed along with permanent and present address of the partners in case of a Firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/Limited Company/NGO/Others.
6. Copy of the Registration certificate PAN/Service tax/EPF/ESI up to date.
7. GST Regestration PhotoCopy.

I/We hereby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

Signature of the Bidder

Date : **Name :**

Place : **Address :**

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders of concerned head of office from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 2.5% on the total value of the cost of the quantity for supply, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement. I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/our Bid security stand forfeited if I/we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement with seven (7) days of acceptance of my/our Bid. and I/we will strictly abide by the terms and contitions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besiders blacklisting me/us.

Signature of the Bidder

NAME :

ADDRESS:

(II) Cover-II : Financial/Price Bid/BOQ (.xls)

S.No.	Particulars as per specification	Description Of required Document	Details Of DocumentsTo Be Uploaded By Bidder Along With Relevant Page Nos	Price Bid/BOQ (Without GST)	Details of quoted In BOQ

Signature Not Verified

Digitally signed by DR JOGESHWAR PRASAD
Date: 2023.05.12 20:29:17 IST
Location: Rajasthan-RJ